बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आ0सं0–22 / नि0सि0(अभि0)भाग0–22–19 / 2022 08 पटना, दिनांक– 31-01-2023

आदेश

चूँकि अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग को संबोधित पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक–3272 दिनांक 01.12.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजातों एवं केस दैनिकी में अंकित साक्ष्यों के परिशीलन के बाद, सक्षम प्राधिकार को यह समाधान हो गया है कि निगरानी थाना कांड सं0–048 / 2015 दिनांक 25.06.2015 के अभियुक्त श्री अरविन्द साहु (आई0डी0–जे 8823), तत0 कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर, जिला–मुँगेर, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–467 / 468 / 471 / 409 / 420 / 120बी तथा भ्र0नि0अधि0 की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी)(डी) के अधीन अभियोजन के लिए प्रथम दृष्टया केस बनता है।

और चूँकि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं0–02) की धारा–197 एवं भ्र0नि0अधि0, 1988 की धारा–19 के अधीन कोई भी न्यायालय, किसी ऐसे लोक सेवक के विरूद्ध, जो सक्षम प्राधिकार की मंजूरी से ही अपने पद से हटाया जा सकता है, किसी ऐसे अपराध का जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया अभिकथित हो, संज्ञान नहीं ले सकता है,

और चूँकि श्री अरविन्द साहु (आई0डी0–जे 8823), तत0 कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर, जिला–मुँगेर, सम्प्रति सेवानिवृत ऐसे लोक सेवक हैं, जिन्हें सक्षम प्राधिकार के मंजूरी से ही सेवा से हटाये जा सकते हैं और यह अभिकथित है कि उन्होंने अपराध अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया है,

और अब इसलिए सक्षम प्राधिकार एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या–2) की धारा–197 एवं भ्र0नि0अधि0, 1988 की धारा–19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भा0द0सं0 की धारा–467 / 468 / 471 / 409 / 420 / 120बी एवं भ्र0नि0अधि0 की धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(सी)(डी) के अधीन अपराधों के लिए श्री अरविन्द साहु (आई0डी0–जे 8823), तत0 कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर, जिला–मुँगेर, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

ह0 / –
(ईश्वर चन्द्र ठाकुर)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
कृ0प0उ0

ज्ञापांक– 177 दिनांक– 31-01-2023

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना/श्री राजीव कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक –सह– अनुसंधानकर्त्ता, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना/संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/अवर सचिव (प्रबंधन) प्रभारी प्रशाखा–07, 08 एवं 09/कार्यपालक अभियंता (आई0टी0) आई0 टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07, 08, 09, 12 एवं 22 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.1.23

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)